दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.P(PC)524/Genl/Trans Allowance/Vol.II

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated: 15-05-2014

आर बी ई सं/RBE No. 40 / 2014 | **पी बी सी सं/ PBC No: 57 / 2014**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Wokshops / other Units, etc.,
(As per mailing list –'A')

विषय/Sub: Grant of Transport Allowance to Orthopaedically handicapped Railway Employees.

******

A copy of Railway Board's letter No.PC-V/2014/A/TA/1 dated 29-04-2014 (RBE No. 40/2014) on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

(V.SRINIVASAN)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA

The Genl Secy / NFIR

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय

(Railway Board/रेलवे बोर्ड)

महाप्रबंधक का कार्यालय
GENERAL MANAGER'S OFFICE
02 MAY 2014
दक्षिण रेलवे/Southern Railway
चेन्नै/Chennai-600 003

S.No.PC-VI/ 337
No. PC-V/2014/A/TA/1

RBE No. 40 /2014
New Delhi, dated 29 .04.2014

The General Managers/CAOs(R)
All Zonal Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub:-Grant of Transport Allowance to Orthopaedically handicapped Railway Employees.

Reference is invited to Railway Board's letter No. F(E) I-78/AL-7/5, dt.15.01.1980 as amended from time to time and to say that the criteria for orthopaedically handicapped employees to draw Transport Allowance at double the normal rates has been reviewed by Ministry of Finance in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare. It has been decided that in partial modification of para-1 of Railway Board's letter dt. 15.01.1980 referred above, Double Transport Allowance shall be allowed to an orthopaedically Handicapped Railway employee if he or she has a minimum of 40% permanent partial disability of either one or both upper limbs or one or both lower limbs **OR** 50% permanent partial disability of one or both upper limbs and one or both lower limbs combined. The other conditions of Board's letter dated 15.01.1980 for granting Double Transport Allowance to orthopaedically handicapped Railway employees shall remain unchanged.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Hindi version is enclosed.

{Authority: MoF's OM No.21-1/2011-E.II(B), dt.5th August, 2013}

(N.P.Singh)
Dy.Director, Pay Commission - V
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 40 /2014

क्र.सं. पीसी-VI/337

सं.पीसी-V/2014/ए/टीए/1

नई दिल्ली, दिनांक 29.4.2014

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलवे)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: शारीरिक रूप से विकलांग रेलवे कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करना।

रेलवे बोर्ड के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 15.01.1980 के पत्र सं. एफ(ई)I-78/एएल-7/5 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है और यह सूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को सामान्य दर से दोगुनी दर पर परिवहन भत्ता प्रदान करने के मानदंड की समीक्षा की गई है। रेलवे बोर्ड के दिनांक 15.01.1980 के ऊपर उल्लिखित पत्र के पैरा-1 में आंशिक आशोधन करते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि यदि शारीरिक रूप से विकलांग रेलवे कर्मचारी के एक अथवा दोनों ऊपरी लिम्ब अथवा उसके एक अथवा दोनों निचले लिम्ब में कम से कम 40% स्थाई आंशिक विकलांगता हो अथवा उसके एक अथवा दोनों ऊपरी लिम्ब एवं एक अथवा दोनों निचले लिम्ब में संयुक्त रूप से 50% स्थाई आंशिक विकलांगता हो तो उसे दोगुना परिवहन भत्ता अनुमेय किया जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांग रेलवे कर्मचारियों को दोगुना परिवहन भत्ता प्रदान करने के संबंध में बोर्ड के दिनांक 15.01.1980 में दी गई अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(प्राधिकार: वित्त मंत्रालय का दिनांक 5 अगस्त, 2013 का कार्यालय ज्ञापन सं. 21-1/2011-ई.II(बी))

(एन.पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड.